ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (आर0एल0ए0) भरमौर, तहसील भरमौर, जिला चम्बा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/09 से 03/2014

1 प्रारम्भिकः–

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000 ई–गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.2005 के अन्तर्गत प्रदेश की ई–गवर्नेन्स सोसाईटियों की परिवहन से सम्बन्धित निधियों का अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ई–गर्वनेन्स सोसाईटी भरमौर की परिवहन से सम्बन्धित निधियों के अवधि 04/2009 से 03/2014 के लेखाओं का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के श्री संदीप कमल (अनुभाग अधिकारी) तथा श्री पंकज भ्रारिया (कनिष्ठ लेखा परीक्षक) द्वारा दिनाँक 25.09.2014 से 29.09.2014 के दौरान भरमौर में किया गया। ई–गवर्नेन्स सोसाईटी का गठन, सभांए पंजीकरण अधिनियम 21, 1860 (हिमाचल प्रदेश संशोधित 1973) के अन्तर्गत दिनाँक 13.06.2005 को पंजीकरण संख्या 3/चम्बा/2005 के अन्तर्गत हुआ एवं इसी पंजीकरण के अन्तर्गत ई–गवनेन्स भरमौर (आर0एल0ए0) द्वारा दिनाँक 22.04.09 से विधिवत कार्य प्रारम्भ हुआ।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान (आर0एल0ए0) भरमौर में निम्नविवरणानुसार अधिकारियों ने आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य कियाः–

क्र0सं0	आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम	कार्य की अवधि
1	श्री देवा सिंह नेगी, (एच0ए0एस0)	11/2008 से 07/2011
2	श्री नीरज कुमार, (एच0ए0एस0)	07/2011 से 06/2012
3	श्री बी0आर0 कमल, (एच0ए0एस0)	06/2012 से 09/2012
4	डा0 जितेन्द्र कन्वर, (एच0ए0एस0)	09/2012 से 31.03.14

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	पैरा सं0	विवरण	₹ लाखों में
1	4	राजकीय कोष में राशि जमा न करना	0.70
2	7	बिजली के सामान इत्यादि की खरीद पर अनियमित प्रकार से व्यय करना	0.11
3	10	क्रय की गई राशि की सामग्री की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में न करना	0.26
4	11	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना प्रिन्टर क्रय करना	0.13

आय व व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह का चयन इस प्रकार किया गयाः–

वित्तीय वर्ष	**2009–10**	**2010–11**	**2011–12**	**2012–13**	**2013–14**
आय	03 / 10	03 / 11	05 / 11	07 / 12	03 / 14
व्यय	–	03 / 11	10 / 11	04 / 12	12 / 13

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को ई–गवर्नेन्स सोसाईटी भरमौर द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

2 अंकेक्षण शुल्कः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी भरमौर के अवधि 04 / 2009 से 03 / 2014 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवस के आधार पर कुल ₹4400 / – आँका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 408 दिनाँक 29.09.2014 द्वारा अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना करते हुए सोसाईटी द्वारा अंकेक्षण शुल्क की ₹4400 / – हिमाचल प्रदेश स्टेट को0 बैंक भरमौर के बैंक ड्राफ्ट संख्या 870820 दिनाँक 29.09.14 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित कर दी गई।

3 वित्तीय स्थितिः–

(क) (आर0एल0ए0) भरमौर द्वारा **परिशिष्ट "क"** पर उपलब्ध करवाई गई सोसाईटी की अवधि 04 / 2009 से 31.03.14 की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है।

वित्तीय वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**आय**	**ब्याज**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2009–10	0	39891	406	40297	0	40297
2010–11	40297	47470	978	88745	11837	76908
2011–12	76908	58520	5583	141011	15610	125401
2012–13	125401	68230	6188	199819	9267	190552
2013–14	190552	76550	7903	275005	139333	135672

(ख) बैंक समाधान विवरणिकाः–

दिनाँक 31.03.14 को रोकड़ बही का शेष	₹135672
दिनाँक 31.03.14 को बैंक में शेष (खाता संख्या 17810106034 हि0प्र0 स्टेट को0 बैंक भरमौर)	₹135739
अन्तर (Cheque No. 5618906 dated 22.06.12 issued but not presented for payment)	₹67

बैंक समाधान विवरणी की जाँच करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा वर्ष 2012–13 में चैक संख्या 5618906 दिनाँक 22.06.12 ₹67 का निर्गमित किया गया था लेकिन 2½ वर्ष व्यतीत होने के पश्चात अभी तक यह चैक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। नियमानुसार चैक की वैधता निर्गमन से 3 माह तक की होती है तथा अब यह चैक कालातीत हो चुका है। अतः बैंक से इस चैक के भुगतान सम्बन्धी पुष्टि इत्यादि करवाने के पश्चात ₹67/–को रोकड़ बही की आय पक्ष में लेना सुनिश्चित किया गया ताकि भविष्य में यह चैक बैंक समाधान विवरणी में प्रदर्शित न हो।

4 राजकीय कोष में ₹70885/– जमा न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ0 (1) 3/2000–ई–गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.2005 के पैरा 3 (ए) के अनुसार ई–गवर्नेन्स सोसाईटी द्वारा परिवहन से सम्बन्धित सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त की गई कुल वसूलियों का 25**%** भाग राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षणाधीन अवधि 22.04.09 से 31.03.14 के दौरान सोसाईटी निम्नविवरणानुसार सेवा शुल्क के रूप में कुल ₹283541/– की वसूली की गई थी जिसका 25**%** भाग ₹70885/– राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था लेकिन सोसाईटी द्वारा यह राशि राजकीय कोष में जमा नहीं करवाई गई थी।

वित्तीय वर्ष	सेवा शुल्क से प्राप्त आय	राजकीय कोष में जमा योग्य राशि
2009–10	39891	9973
2010–11	47470	11868
2011–12	58520	14630
2012–13	61110	15277
2013–14	76550	19137
योग	**₹283541**	**₹70885**

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार राजकीय कोष में जमा नहीं करवाई गई ₹70885/– के बारे में कारण स्पष्ट किए जाये तथा अविलम्ब इस राशि को राजकीय कोष में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार नियमित रूप में राजकीय कोष में ही निर्धारित राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

5 सेवा शुल्क (user charges) के रूप में ₹1990/– बैंक में जमा न करने बारेः–

वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के आय पक्ष की जाँच के दौरान पाया कि निम्नविवरणानुसार ₹1990/– बैंक में कम जमा करवाई गई थी।

अवधि	सेवा शुल्क के रूप में वसूली राशि	बैंक में जमा करवाई गई राशि	कम जमा राशि

22.4.09 से 31.3.10	40260	39840	420
01.04.10 से 26.02.11	49040	47470	1570
		कुल कम जमा राशि	**₹1990**

अतः उपरोक्त राशि बैंक में कम जमा करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं अब उक्त ₹1990/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके इसे बैंक में जमा करने के उपरान्त अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में वसूली गई सेवा शुल्क की समस्त राशियाँ निर्धारित समय पर सम्बन्धित बैंक में जमा करवानी सुनिश्चित की जाए।

6 ई–गवर्नेन्स सोसाईटी चम्बा को भुगतान की गई ₹105748/– की पावती प्राप्त न करने बारेः–

चयनित माह 12/2013 के व्यय की जाँच के दौरान पाया गया कि ₹105748/– का भुगतान अध्यक्ष, ई–गवर्नेन्स सोसाईटी चम्बा को चैक संख्या 5618912 दिनाँक 28.12.13 द्वारा कुल सेवा शुल्क के 50**%** भाग के रूप में किया गया था, परन्तु इस भुगतान के सन्दर्भ में अभिलेख हेतु रसीद प्राप्त नहीं की गई जिससे भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः अपेक्षित रसीद प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक भुगतान की रसीद यथासमय प्राप्त करनी सुनिश्चित की जाए।

7 बिजली के सामान इत्यादि की खरीद पर ₹11837/– का अनियमित प्रकार से व्यय करने बारेः–

चयनित माह 03/2011 के व्यय की जाँच करने पर पाया कि मैसर्ज मैहता जनरल स्टोर करिया से उनके बिल संख्या 862 दिनाँक 6.2.09 के अन्तर्गत निम्नविवरणानुसार बिजली इत्यादि की फीटिंग हेतु ₹11837/– का भुगतान किया गया।

18 Mtr. Main sub. Wire 4 mm2 @ ₹92/- per mtr.	1656
10 Mtr. Main sub. Wire 2.5 mm2 @ ₹79/- per mtr.	790
48 Mtr. Main sub. Wire 1.5 mm2 @ ₹42/- per mtr.	2016
37 Mtr. Main sub. Wire 0.75 mm2 @ ₹10/- per mtr.	370
2 M.C.B. 63Amp. @ ₹500/-each	1000
6 M.C.B. 63Amp. @ ₹150/-each	900
1 M.C.B. Box 8 way @ ₹350/-	350
1 M.C.B. Box 2 way @ ₹200/-	200
6 Board @ ₹200/- each	1200
3 Power set 1.5 Amp. @ ₹175 each	525
32 Mtr. Networking hub wire @ ₹40/- per mtr.	1280
1 Net working hub D.link 8 part @ ₹1550	1550
	11837

उपरोक्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच पर निम्नलिखित अनियमितताए पाई गई जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(क) उपरोक्त क्रय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

(ख) क्रय के लिए गठित कमेटी के सदस्यों एवं सक्षम अधिकारी द्वारा निविदाएं सत्यापित नहीं की गई थी एवं निविदाओं की तुलनात्मक विवरणी भी तैयार नहीं की गई थी।

(ग) क्रय की गई सामग्री की भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ भी नहीं की गई।

(घ) सामग्री का क्रय दिनाँक 06.02.09 को किया गया था जबकि आपूर्तिकर्ता को भुगतान दिनाँक 19.03.11 को चैक संख्या 5618901 द्वारा किया गया था अर्थात भुगतान 2 वर्ष के पश्चात किया गया था जिस बारे भी स्थिति स्पष्ट की जाए।

8 ₹9200/– के भुगतान से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत न करने बारेः–

व्यय पक्ष की जाँच के दौरान पाया कि श्री मुनीश गुप्ता को ₹7000/– का भुगतान चैक संख्या 5618905 दिनाँक 19.4.12 द्वारा तथा मै0 जे0डी0 फर्नीचर हाऊस को ₹2200 का भुगतान चैक संख्या 5618907 दिनाँक 28.06.12 द्वारा किया गया दर्शाया गया था, लेकिन उक्त भुगतान से सम्बन्धित दस्तावेज/अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किए गये, जिनके अभाव में इन भुगतानों की सत्यता की जाँच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी। अतः इन भुगतानों से सम्बन्धित दस्तावेज/अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करने सुनिश्चित किए जाये अन्यथा भुगतान की गई राशियों की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित खाते में जमा करवाई जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें।

9 बिना निविदाएं आमन्त्रित किए ₹8710/– की सामग्री का क्रय करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के नियम 97 के अनुसार ₹3000/– से अधिक तथा इससे पूर्व ₹1000 से अधिक की खरीद के लिए निविदाएं आमन्त्रित करनी अनिवार्य है परन्तु चयनित माह 10/2011 के खर्चों की जाँच के दौरान पाया कि निम्न विवरणानुसार सामग्री का क्रय बिना निविदाएं आमन्त्रित किए किया गया था जोकि उपरोक्त वर्णित नियमों के विपरीत था। यदि इस सामग्री का क्रय निविदाएं आमन्त्रित करके किया होता तो बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सकता था। अतः बिना निविदाएं आमन्त्रित किए की गई खरीद का औचित्य स्पष्ट किया जाये एवं सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त चयनित मासों के अलावा अन्य मासों में इस प्रकार के अनियमितता व्यय की जाँच संस्था स्तर पर की जाए तथा अपेंक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

माह	फर्म का नाम/बिल संख्या	सामग्री का विवरण	राशि
10/11	Bill No. 1215 dated 29.07.11 M/S Badyal infotech & D. Net space Chamba	Stationary Material & Cartridge etc.	8710

इसके अतिरिक्त उपरोक्त सामग्री का भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज नहीं किया गया था जिसके अभाव में उपरोक्त सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः सामग्री की भण्डार में प्रविष्टि करके इसके उपयोग/खपत बारे अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

10 क्रय की गई ₹26235/– की सामग्री की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में न करने बारेः–

अंकेक्षण अवधि के चयनित माहों के अंकेक्षण के दौरान पाया कि निम्नविवरणानुसार विभिन्न प्रकार की सामग्री का क्रय किया गया था लेकिन क्रय की गई सामग्री की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में नहीं की गई थी जिसके अभाव में क्रय हेतु किए गये भुगतान की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः भण्डार रजिस्टर में प्रविष्टियाँ न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये एवं प्रत्येक सामग्री की प्रविष्टियाँ भण्डार रजिस्टर में करनी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाये।

क्र0सं0	माह	फर्म का नाम/बिल संख्या	सामग्री का विवरण	राशि
1	12/13	Bill No. 2637 dt. 11.04.13 M/S Badyal infotech Chamba	Statinary Material	1235
2	12/13	Bill No. BIDS-380 dt. 21.12.12 M/S Badyal infotech Chamba	Statinary Material	2782
3	12/13	Bill No. BIDS-385 dt. 24.12.12 M/S Badyal infotech Chamba	Printer & Cartridge etc.	16422
4	12/13	Bill No. 2153 dt. 23.04.12 M/S Badyal infotech Chamba	Statinary	2142
5	12/13	Bill No. BIDS-13-13-311 dt. 26.10.13 M/S Badyal infotech Chamba	Cartridge etc.	2310
6	12/13	Bill No. 2184 dt. 04.05.12 M/S Badyal infotech Chamba	Statinary Material	1344
			कुल राशि	**26235**

11 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ₹13860/– का प्रिन्टर क्रय करने बारेः–

ई–गवर्नेन्स सोसाईटी चम्बा के Bye Laws की मद संख्या 8.1 के अनुसार "No. item of hardware shall be purchased without the prior approval of the chief administrator."। जाँच में पाया कि ई–गवर्नेन्स सैन्टर भरमौर द्वारा बिल संख्या BIDS-385 दिनाँक 24.12.12 के

अन्तर्गत मै0 बड़याल इनफोटैक चम्बा से ₹13860 के एक TVSE DMP Printer 455xL का क्रय मुख्य प्रशासक की अनुमति के बिना किया गया था जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में नियमों के अनुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाए।

12 लेखों का रख–रखाव नियमों के अनुसार न किया जाना:–

(क) Income & Expenditure Statement एवं Balance Sheet तैयार न करने बारे:–

हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0–एफ (1) 3/2000–ई–गवर्नेन्स दिनाँक 03.09.2005 की धारा 3 (ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा आय–व्यय के लेखों का रख–रखाव सुनिश्चित करते हुए प्रतिवर्ष Income & Expenditure Statement तथा Balance Sheet तैयार की जानी अपेक्षित थी, परन्तु जाँच में पाया कि ई–गवर्नेन्स सैन्टर भरमौर द्वारा Income & Expenditure Statement एवं Balance Sheet तैयार नहीं की गई थी जिसके अभाव में सैन्टर के आय–व्यय का मिलान करके अधिक्य इत्यादि को पुष्टि नहीं की जा सकी तथा सैन्टर के पास उपलब्ध सम्पत्ति एवं सैन्टर की देनदारियों की सही स्थिति की जानकारी भी उपलब्ध नहीं हो सकी। अतः अविलम्ब नियमों के अनुसार Income & Expenditure Statement एवं Balance Sheet तैयार करनी सुनिश्चित की जाए जिसे आवश्यक जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

(ख) रोकड़ बही का रख–रखाव नियमानुसार न करना:–

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही की जाँच में पाया कि रोकड़ बही का रख रखाव एचपीएफआर–1971 खण्ड–1 के नियम 2.2 के अनुसार नहीं रखा गया था अर्थात माह के दौरान प्राप्त की गई कुल आय तथा उसमें से किए गए कुल व्यय के उपरान्त अन्तशेष का विवरण देकर हस्तगत राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र नहीं दिया गया तथा बैंक में जमा राशि का विवरण देकर रोकड़ बही के शेष का बैंक के शेष से मिलान इत्यादि भी नहीं किया गया था। अतः नियमों के अनुसार रोकड़ बही तैयार करनी सुनिश्चित की जाए।

(ग) भण्डार रजिस्टर का निर्माण न करना:–

हिमाचल प्रदेश वित्त नियम–1971 खण्ड–1 के नियम 15.10 के अनुसार स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर अलग–2 तैयार करना अनिवार्य है, परन्तु जाँच में पाया कि ई–गवर्नेन्स सैन्टर भरमौर में सामग्री के ईन्द्राज हेतु कोई भी रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था एवं क्रय सामग्री का ईन्द्राज भी भण्डार रजिस्टर में नहीं किया जा रहा था जिसके अभाव में क्रय की गई सामग्री का दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः

नियमों के अनुसार तुरन्त अभाव में स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर तैयार किए जाये एवं सम्बन्धित रजिस्टर में अलग–2 प्रकृति की प्रत्येक मद के लिए अलग–2 पृष्ठ आंबटित किए जायें एवं क्रय की गई प्रत्येक सामग्री की प्रविष्टियाँ इनमें करनी सुनिश्चित की जाये।

(घ) Daily Collection Register का निर्माण न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि (आर0एल0ए0) भरमौर द्वारा Daily Collection Register का निर्माण नहीं किया गया था जिसके अभाव में आय की सही प्रकार से जाँच नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त रजिस्टर को यथाशीघ्र तैयार करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

13 विविधः–

केन्द्रीय ईकाई चम्बा से समय–2 पर ई–गवर्नैन्स सोसाईटी (RLA) भरमौर को जारी की गई विभिन्न मदों तथा ई–गवर्नेन्स सोसाईटी (RLA) भरमौर से केन्द्रीय ईकाई चम्बा को समय–2 पर केन्द्रीय ईकाई के हिस्से के रूप में भेजी गई राशि का मिलान केन्द्रीय ईकाई चम्बा से नहीं किया गया है। अतः इस सन्दर्भ में भी अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 लघु आपत्ति विवरणीः– लघु आपत्तियों का निपटारा मौके पर ही कर दिया गया। अतः यह अलग से जारी नहीं की गई।

15 निष्कर्षः– लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)(xii) 20/2014 खण्ड–1–1063–1067 दिनांक, 3.3.2015 शिमला–171009

पंजीकृतः–1 उप मण्डल अधिकारी (ना0) एवं सचिव ई–गवर्नेन्स सेन्टर (आर0एल0ए0) भरमौर, जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करवाकर सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

2 जिलाधीश चम्बा जिला चम्बा (हि0प्र0)

3 निदेशक (परिवहन विभाग) हि0प्र0 शिमला–03

4 अवर सचिव (परिवहन) हि0प्र0 शिमला–02

5 श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी द्वारा..........................

हस्ता/–

उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009